माता के जागरण से पूर्व निकाली कलश यात्रा

[illegible]

शक्ति स्वरूपा संस्थिता

भूमिया देव मंदिर, चांदपुर

[illegible]

दर्शन

[illegible]

दिनचर्या

[illegible]

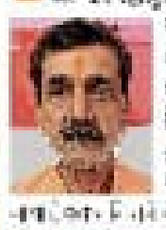

[illegible]

[illegible]

भ्रूण लिंग जांच के खिलाफ निर्मला ने छेड़ी जंग

उनकी सूझबूझ से 12 से अधिक छापेमार कार्रवाई में 17 पहुंचे सलाखों के पीछे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान से भी जुड़ीं

नारी सशक्तीकरण

निर्मला देवी

[illegible]

[illegible]

[illegible]

कथा के माध्यम से बताया भक्ति व सरल जीवन जीने का महत्व

[illegible]

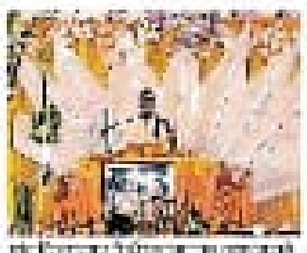

[illegible]

छात्राओं को शिक्षा व स्वावलंबन की राह दिखा रहीं आभा

बेटियों को किताबें व कपड़े भी निःशुल्क दे रहीं आभा सिंघल

[illegible]

[illegible]

नवरात्र पर जलालपुर में निकाली गई कलश यात्रा

[illegible]

[illegible]

कुशल्या की तलाश

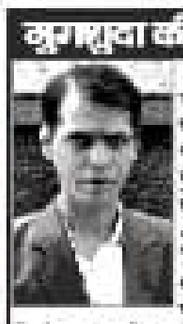

[illegible]

[illegible]

रैली और नुक्कड़ नाटक से जल संरक्षण का किया आह्वान

[illegible]

[illegible] ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा मोह

[illegible]

[illegible] फार्मेसी के 10 विद्यार्थियों का चयन

[illegible]

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

मण्डल कार्यालयः रिकवरी सेन्टर, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701, ईमेल- cobznsam@pnb.co.in, cobijnore@pnb.co.in

नीलामी सूचना E-Auction के द्वारा

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) [नियम 8(6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं)/गारन्टर (ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक/बंधक/प्रभारित है का **सांकेतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी**/ गारन्टरों की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथियों को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपत्तियों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर्स वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें **BAANKNET.COM**

क्र0 सं0	शाखा/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधक)	(ए) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(2) की तिथि (बी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना (ई) कब्जे के प्रकार प्रतीकात्मक/भौतिक/सांकेतिक	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
	ई–नीलामी दिनांक 28.04.2026 समय सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक				
1	**शाखाः नजीबाबाद चौक, बिजनौर** श्री मौहम्मद सुलेमान पुत्र श्री मकबूल **(ऋणी/बंधककर्ता)** श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री बिशम्बर सिंह **(गारन्टर)।**	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित मौहल्ला चारबाग, परगना और तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर कुल माप 146.37 वर्गमीटर, (सम्पत्ति स्वामी श्री मौहम्मद सुलेमान पुत्र श्री मकबूल), पंजीकृत बही नं. 01, जिल्द नं. 8137, पेज85-116, सीरियल नं. 2902, दिनांक 31.03.2017 सब रजिस्ट्रार कार्यालय नजीबाबाद, बिजनौरपर पंजीकृत है। (उ.प्र.) विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँः- पुर्व- आराजी अजगर अहमद, पश्चिम- 6 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर- 8 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण- रोशनजहां का मकान।	(ए) 08.10.2025 (बी) रू0 **15,43,314/-** + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 34,40,000/- रू0 3,44,000/- रू0 40,000/-	**ज्ञात नहीं**
2	**शाखाः कोतवाली, बिजनौर** श्री सुल्तान अहमद उर्फ श्री अब्दुल हक पुत्र श्री अब्दुल शक्कूर **(ऋणी और बंधककर्ता)**, श्री फैसल पुत्र श्री सुल्तान अहमद उर्फ श्री अब्दुल हक **(सह–ऋणी)**।	बंधक व्यवसायिक सम्पत्ति (दुकान) स्थित मौहल्ला इस्लाम नगर, कस्बा जलालाबाद, परगना और तहसील नजीबाबाद बिजनौर (उ.प्र.) माप 13.30 वर्गमीटर (सम्पत्ति स्वामी श्री सुल्तान अहमद उर्फ श्री अब्दुल शक्कूर) रिकार्ड बही नं. 01, जिल्द नं. 1347/1359, पेज नं. 100/29-32, सीरियल नं. 426, दिनांक 29.01.2000, सब रजिस्ट्रार कार्यालय नजीबाबाद, बिजनौर पर पंजीकृत है। सीमाएँः- पूर्व- अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम- सड़क, उत्तर- अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण- अन्य की सम्पत्ति।	(ए) 07.11.2025 (बी) रू0 **6,37,014.00** + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 12,58,850/- रू0 1,25,885/- रू0 20,000/-	**ज्ञात नहीं**
3	**शाखाः बराहपुर, बिजनौर** मैसर्स मुन्नी देवी हैझडीक्राट इसके प्रोपराइटर श्री दया चन्द सैनी (प्रापराईटर फर्म), श्री दयाचन्द सैनी पुत्र श्री गंगाराम (प्रोपराईटर) श्री गंगाराम पुत्र श्री माखन सिंह (गारन्टर/बंधककर्ता)।	बंधक आवासीय मकान स्थित मौहल्ला कायस्थ सराय, परगना और तहसील नगीना जिला- बिजनौर (उ.प्र.) कुज माप 219 वर्गमीटर (सम्पत्ति स्वामी श्री गंगाराम पुत्र श्री माखन सिंह) रिकार्ड बही नं. 01, जिल्द नं. 1274/1320, पेज नं. 245/203-2026, सीरियल नं. 2193, दिनांक 15.05.2000, रजिस्ट्रर्ड सब रजिस्ट्रार कार्यालय नगीना, जिला बिनौर (उ.प्र.) विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँः- पूर्व- ओमप्रकाश का मकान, पश्चिम- मुकीर की आराजी, उत्तर- 8 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण- वीरेन्द्र कुमार भटनागर की आराजी।	(ए) 01.08.2025 (बी) रू0 **18,87,172.05** + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 25,48,000/- रू0 2,54,800./- रू0 30,000/-	**ज्ञात नहीं**

सम्पत्ति बिक्रि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अर्न्तगत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुसार होगी।

1. नीलामी बिक्री ''ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन'' पोर्टल **https://baanknet.com/** होगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com/)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाता है (जिसमे 5 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को ई-नीलामी से पहले तक अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। पोर्टल में समय नीलामी से पहले, केवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को पहले से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। 3. उपर्युक्त धनराशि जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान ऑनलाइन भुगतान 3 मोड अर्थात एनईएफटी/कैश /ट्रांसफर (से चालान जनरेट करने के पश्चात) **(https://baanknet.com/)** के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जाता है, हालांकि कैश / ट्रांसफर के लिए बोली लगाने वाले को पंजाब नेशनल बैंक शाखा का दौरा करना पड़ता है। चेक जैसे किसी अन्य मोड द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं, जिन्होनें ईएमडी की राशि जमा नहीं कराई होगी को उन्हे ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा की गई ईएमडी की राशि पर कोई देय ब्याज नहीं दिया जाएगा। 4. ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म **(https://baanknet.com/)** ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S PSB Alliance Private Limited द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट–1, तृतीय तल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (संपर्क टोलफ्री नंबर +91 8291220220, ई–मेलः– psba@psballiance.com)** इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं को ई–नीलामी की प्रक्रिया में ई–नीलामी के सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com/** के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेना होगा । 5. यहाँ अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्रार्थित अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. नीलामी के आगे के नियमों और विनियमों के लिए या तो इन वेबसाइटों पर जाएं या नोडल अधिकारी **श्री जितेन्द्र कुमार झा, मो0 नं0 9634200162** से **पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालयः रिकवरी सेन्टर, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701** मे संपर्क करें। बैंक बिना किसी कारण के नीलामी प्रक्रिया को रद्द / निलंबित करने का अधिकार रखता है। 7. सफल बोलकर्ता को दिये गये खाते में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तत्काल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी तत्काल या अगले दिन सुबह जमा करानी होगी (जिसमें पूर्व में जमा किया गया ईएमडी को समायोजित कर दिया जायेगा) बयाना राशि को नीलामी की राशि में बाद में समायोजित कर दिया जायेगा। 8. नीलामी की स्वीति के 15 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। यदि वह शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दिये गये समय में नहीं कर पाता तो जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और अनुपस्थित/दोषी व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी सभी दावे या उससे सम्बन्धित दावे जिनकी बोली लगाई जानी है, वह भी खत्म हो जायेंगे। यदि नीलामी वाले दिन को अवकाश घोषित है, तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी। 9. **प्लांट और मशीनरी पर जीएसटी/टीसीएस एवं अन्य कर क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।** 10. सफल बोलीकर्ता को रिजर्व मूल्य के एक क्रम ऊपर (बोली वृद्धि राशि) बोली लगाना अनिवार्य है। 11. यह इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे बिक्री नोटिस, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 12. प्राधिकृत अधिकारियों की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदातओं, को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्ति के भार, श्शीर्षक, संपत्ति के भौतिक क्षेत्र और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। बोली लगाने से पहले किसी भी वैधानिक देनदारियों, कर के बकाया, दावों आदि के बारे में पूछताछ करना। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या ना हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 13. बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या बकाया जल/सेवा शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम/स्थान का बकाया जैसे किसी भी अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकरण/सहकारी हाउसिंग सोसाइटी या उक्त संपत्ति की बिक्री के संबंध में और/या कोई अन्य बकाया, कर, लेवी शुल्क, हस्तांतरण शुल्क यदि कोई हो। सफल बोलीदाता को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा। 14. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है/सावधान किया जाता है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राजस्व रिकॉर्ड/अन्य वैधानिक प्राधिकारियों जैसे बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/आयकर आदि को सत्यापित करें और संपत्ति की प्रकृति, विवरण, शर्तों, बाधा, लाइन, शुल्क, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें। 15. बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा पारित किसी भी स्थिगत/निषेध/निरोधक आदेश के लंबित रहने तक बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 16. बिक्री पर रोक/रद्दीकरण' ओआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक के मामले में, नीलामी को या तो स्थगित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, बिक्री में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान, मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 17. बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना और कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/स्थगित करने/रद्द करने/बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवके है। 18. ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (व्याज एवं अन्य खर्चों सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी की दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चा सहित वसूल की जायेगी। नोटः अधिक जानकारी के लिए इन मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क करें- **9634200162.** 19. किसी भी बोली वृद्धि को भूमि और भवन तथा संयंत्र और मशीनरी दोनों पर आनुपातिक रूप से बढ़ा हुआ माना जाएगा।

हिन्दी पाठ में कोई विसंगति होने पर अग्रेजी अखबार Times of India पाठ को प्रमाणित माना जायेगा।

दिनांकः 23.03.2026 | स्थान – बिजनौर | प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार